एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3480/2007
गोविन्द प्रसाद व अन्य बनाम सुरेशचन्द व अन्य

11.5.2007

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक</u>

श्री जे.पी.गुप्ता, अधिवक्ता याचीगण की ओर से।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ब्यावर द्वारा पारित पंचाट दिनांक 8.8.2003 में संशोधन किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर पारित आदेश दिनांक 3.2.2007 के विरुद्व प्रस्तुत की है। उक्त प्रार्थनापत्र दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 151 व 152 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता ने यह निवेदन किया था कि मृतक की आय की गणना किये जाने में अधिकरण द्वारा लिपिकीय त्रुटि की गयी है तथा उनकी आय का प्रमाणपत्र प्रदर्श-10 दिनांक 3.12.99, जो मात्र 7 माह की आय को परिलक्षित करता था, को पूरे वर्ष की आय मानकर उसी आधार पर प्रतिमाह आय की गणना की गयी है। इस प्रकार यह लिपिकीय त्रुटि का मामला था। अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 3.2.2007 के द्वारा उक्त आवेदनपत्र को विस्तृत आदेश के द्वारा निरस्त कर दिया। अधिकरण ने अपने आदेश में यह उल्लेख किया कि दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 152 में न्यायालय को मात्र निर्णय, डिक्री या आदेश के लेखन में की गयी गणित संबंधी भूल या किसी आकस्मिक भूल या लोप के चलते हुई त्रुटि को ही ठीक करने का अधिकार है। परन्तु आक्षेपित पंचाट में बतायी गयी त्रुटि गणितीय त्रुटि की श्रेणी में नहीं होकर साक्ष्य मूल्यांकन की है, अत: वह दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 152 की परिधी में नहीं आती है।

मैं विद्वान अधिकरण द्वारा की गयी उक्त विवेचना से सहमत हूं। किन्तु प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में याचीगण को धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन अपील करने का अधिकार रहेगा। जहां तक अपील हेतु निर्धारित 90 दिवस की अवधि का प्रश्न है, यह उल्लेख

करना आवश्यक होगा कि पंचाट दिनांक 8.8.2003 को पारित किया गया है तथा उससे एक माह के अन्दर याचीगण द्वारा लिखित आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 152 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दिनांक 17.9.2003 को अर्थात पंचाट पारित किये जाने से एक माह के अन्दर ही प्रस्तुत कर दिया था तथा उसके पश्चात आदेश दिनांक 3.2.2007 को पारित किया गया। इन परिस्थितियों मे याचिकाकर्ता को मर्यादा अधिनियम की धारा 14 का लाभ अपील पेश करने में हुई देरी को माफ कराने का मिल सकेगा।

इसी टिप्पणी के साथ यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति